उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

(उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित)
मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस, सरोजनीनगर, लखनऊ
वेबसाइटः **hajcommittee.up.gov.in** ; ई–मेल : **shcuplko@rediffmail.com**;

पत्रांक जी–।।/27/एस0एच0सी0/2024 दिनांक 15.04.2024

प्रेस विज्ञप्ति

हज कमेटी आफ इण्डिया मुम्बई द्वारा सकुर्लर–20 निर्गत किया गया है जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि चयनित हज यात्रियों को जिन्होंने अग्रिम धनराशि रु81,800.00+रु 1,70,000.00 (कुल रु 2,51,800.00) जमा कर दिये हैं, उन्हें शेष धनराशि 27 अप्रैल, 2024 तक हज कमेटी आफ इण्डिया मुम्बई के स्टेट बैंक आफ इण्डिया व यूनियन बैंक आफ इण्डिया में संचालित खाते में व ऑनलाइन वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर जमा किया जाना है। शेष धनराशि का विवरण इम्बारकेशनवार निम्नवत है :–

क0 सं0	इम्बारकेशन स्थल (1)	कुल धनराशि	प्रथम व द्वितीय किस्त (रु 81,800+1,70,000) (2)	शेष धनराशि (कुर्बानी/अदाही छोड़कर) (3)
1	दिल्ली	रु 3,30,100.00	रु 2,51,800.00	रु 78,300.00
2	लखनऊ	रु 3,39,100.00	रु 2,51,800.00	रु 87,300.00

- जिन हज यात्रियों ने कुर्बानी/अदाही कूपन का विकल्प चुना है, उन्हें उपरोक्त तालिका के कॉलम (3) में इम्बारकेशनवार शेष धनराशि के अतिरिक्त रु 15,180/– प्रति हज यात्री जमा करना होगा।
- इंफेण्ट जो दो वर्ष की आयु के भीतर हैं उनका एक व्यस्क हेतु हवाई किराया का 10 प्रतिशत अर्थात लखनऊ इम्बारकेशन हेतु रु 10150.00 व दिल्ली इम्बारकेशन हेतु रु 9250.00 जमा करना होगा।

यह भी अवगत कराया गया है कि हज उड़ानें 09 मई, 2024 से सम्भावित हैं। हज यात्रियों को हज यात्रा से पूर्व पूर्ण धनराशि जमा करना आवश्यक होगा।

(एस0पी0 तिवारी)
सचिव/कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी को अवगतार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज को मा0 मंत्री जी को अवगतार्थ।
3. मा0 अध्यक्ष/मा0 सदस्यगण, उ0प्र0 राज्य हज समिति, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ0प्र0 शासन।
5. निदेशक, उ0प्र0 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6. समस्त ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त ई–सुविधा केन्द्र, समस्त जनपद, उ0प्र0।
8. ज़िला सूचना अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 ।

(एस0पी0 तिवारी)
सचिव/कार्यपालक अधिकारी